

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

राजेश कुमार बनाम किरसन आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 60/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील नैरेन्द्र कुमार की व प्रतिवादी सं० 1/2115 की ओर से वकील सुरेन्द्र गौवाला की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री श्री गैरडा के खाता सं० 17/16 के बरकरा सं० 21, 23, 237, 238, 287 व 250 कुल 134450 हे. मारानी खाताधारी लक्ष्मि सुनि प्रतिवादी सं० 1 किरसन के नाम से राजस्व रिक्त है भेदा है भेदा प्रतिवादी सं० 1 किरसन के वाजिएवादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं० 1 किरसन व प्रतिवादी सं० 2 प्रदीप के बहिस्ता करावर के खातेदार का आकार घोषित किया जाता है मुक्ति प्रतिवादी सं० 3 व 4 के अपना सम्पत्ति हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में लागू कर मुन्द कर दिया है इसलिए लागू किया गया हिस्से पर पंजीयन विभागी को देय पंजीयन मुक्त एवं हस्ताभ्य उयुते दिया करने व यदि लक्ष्मि सुनि के खज हो तो खजमुक्त होने के बराबर ही राजस्व रिक्त के अन्तर्गत निका जमा किया जावे। राजेश कुमार की डिक्री को लागू करा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़